समाहरणालय, बक्सर
(सामान्य शाखा)

Phone no-06183-222336(0)
Fax no- 06183-226935(0)
E-mail- dm-buxar.bih@nic.in

आदेश

श्री शिवभजन यादव, चौकीदार, ग्राम+पोस्ट–अर्जुनपुर, थाना– बक्सर औद्योगिक, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर के द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत अपने आश्रित पुत्र श्री राम नारायण यादव को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र दिनांक– 18.07.2019 को दाखिल किया गया है, जिसमे स्वैच्छिक सेवानिवृति की इच्छित तिथि 31.08.2019 अंकित है। श्री शिवभजन यादव के सेवापुस्त के आधार पर उनकी जन्मतिथि 20.10.1959 एवं नियुक्ति की तिथि 01.01.1990 है। तद्नुसार इनके आवेदन दाखिला की तिथि 18.07.2019 को इनकी सेवा अवधि 29 वर्ष, 06 माह, 17 दिन एवं उम्र 59 वर्ष, 08 माह, 28 दिन है। इनके पुत्र श्री राम नारायण यादव की जन्म तिथि 06.02.1998 तथा शैक्षणिक योग्यता स्नातक है।

बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–1/चौ0–90–01/2014 गृ0आ0 1896/पटना, दिनांक– 05.03.2014 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 गठित की गयी है। इसकी कंडिका– 03 मे चौकीदार संवर्ग नियमावली– 2006 के नियम– 5 के उपनियम– (7) के बाद निम्नांकित प्रावधान जोड़े गये है :–

(क) चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र–सीमा संबंधी प्रावधान उन पर लागू रहेगा।

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अपनी इच्छित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना होगा।

इसके अतिरिक्त यथावर्णित संशोधन नियमावली की कंडिका–2 के द्वारा चौकीदार संवर्ग नियमावली– 2006 के नियम–2 के उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित उपनियम क्रमशः (6) एवं (7) जोड़ी गयी है, जो निम्न प्रकार है :–

"(6) 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र व्यक्ति' से अभिप्रेत है वैसे चौकीदार/दफादार जिसकी अर्हक सेवा 20 वर्षो की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो।

(7) 'आश्रित' से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र–वधु, जिसने पुर्नविवाह न की हो।"

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त चौकीदार श्री शिवभजन यादव के आश्रित पुत्र का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, श्री शिवभजन यादव, चौकीदार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं चलने सबंधित प्रतिवेदन, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आदि कागजात अंचलाधिकारी, बक्सर से प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले को विचारार्थ दिनांक– 12.03.2020 को आयोजित चौकीदार स्थापना समिति की बैठक में रखा गया। गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक– 1/चौ0– 90–01/2014 गृ0आ0 1896/पटना, दिनांक– 05.03.2014 से गठित बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 में निहित प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक– 8442 दिनांक 23.10.2017, पत्रांक– 1563 दिनांक– 22.02.2018, पत्रांक– 5444 दिनांक– 22.06.2018 तथा पत्रांक–7346, दिनांक– 04.09.2019 के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री शिवभजन यादव, चौकीदार को दिनांक 31.08.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देते हुए उनके पुत्र श्री राम नारायण यादव का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन के पश्चात चौकीदार के पद पर वेतनमान– पी0बी0–01–5200–20200, ग्रेड–पे 1800 में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

स्वैच्छिक सेवानिवृत प्राप्त चौकीदार श्री शिवभजन यादव के नामित पुत्र श्री राम नारायण यादव के मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक– नि0–2951, दिनांक 08.07.2020, इन्टर का सत्यापन प्रशाखा पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल (परीक्षा), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0), पटना के पत्रांक– BSEB/SS/PAT/EX/3132/D-20, दिनांक–09.07.2020 एवं स्नातक का सत्यापन परीक्षा नियंत्रक, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के पत्रांक– 1153/Exam/2020, दिनांक– 16.09.2020 द्वारा प्राप्त हुआ हैं। पुलिस अधीक्षक, बक्सर के ज्ञापांक–244 / सा0शा0, दिनांक– 18.06.2020 द्वारा द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें अभ्यर्थी राम नारायण यादव पिता श्री शिवभजन यादव का उल्लेख करते हुए चरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा अभ्यर्थी का नाम, पता सही प्रतिवेदित किया गया है।

अतः दिनांक– 12.03.2020 को चौकीदार स्थापना समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राम नारायण यादव, पिता– श्री शिवभजन यादव, चौकीदार, ग्राम+पोस्ट–अर्जुनपुर, थाना– बक्सर औद्योगिक, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर को चौकीदार के पद पर वेतनमान– पी0बी0– 01, 5200–20200, ग्रेड–पे 1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तो के साथ नियुक्त किया जाता है :–

1. बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 की कंडिका– 'ग' में निहित प्रावधान के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा साथ हीं यह सुविधा One time measure है। इस प्रकार नियुक्त आश्रित को पुनः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने आश्रित को नौकरी हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आशय की प्रविष्टि संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त में निश्चित रूप से अंकित की जाय।
2. यह नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की गयी है। परिवीक्षा की अवधि 02 वर्ष की होगी। परिवीक्षा की अवधि में इनकी सेवा 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई गयी तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
5. विवाह में तिलक–दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये गये कागजातों / शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ–साथ एक मुश्त वेतन / भत्ता वापस करने के संबंध में बंध पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
8. वेतन का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।

नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर यदि योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक................................/सा0, दिनांक............./.........../2020

प्रतिलिपिः– श्री राम नारायण यादव, पिता– श्री शिवभजन यादव, से0नि0 चौकीदार, ग्राम+ पोस्ट–अर्जुनपुर, थाना– बक्सर औद्योगिक, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर पुलिस अधीक्षक, बक्सर के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 02-1529 / सा0, दिनांक 17 / 11 / 2020

प्रतिलिपि:— पुलिस अधीक्षक, बक्सर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर / अंचलाधिकारी, बक्सर/वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/थानाध्यक्ष, बक्सर औ0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।